पत्र संख्या–6/योजना–01–1020/2013 गृ0आ0......................../

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक   फरवरी, 2017

विषयः– **जमुई जिलान्तर्गत खैरा प्रखण्ड के बेलाग्राम, झाझा प्रखण्ड के सिमुलतल्ला ग्राम एवं सोनो प्रखण्ड के चरखा पत्थर ग्राम में सशस्त्र सीमा बल के जवानों के आवासन हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना यथा–प्री फैब भवन, बैरक, शौचालय, पेय जल व्यवस्था, वाच टावर, मोर्चा, चहारदिवारी, पहुँचपथ, विद्युत उपकरण आदि निर्माण कार्य हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 498.034 लाख (चार करोड़ अंठानवे लाख तीन हजार चार सौ रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं तत्काल कार्य प्रारंभ करने हेतु ₹ 100.00 लाख (एक करोड़ रू0) मात्र विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना का पत्रांक–1197/आधु0, दिनांक–18.11.2016 के संबंध में कहना है कि गृह विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–10616, दिनांक–26.12.2014 द्वारा जमुई जिलान्तर्गत खैरा प्रखण्ड के बेलाग्राम, झाझा प्रखण्ड के सिमुलतल्ला ग्राम एवं सोनो प्रखण्ड के चरखा पत्थर ग्राम में सशस्त्र सीमा बल के जवानों के आवासन हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना यथा–प्री फैब भवन, बैरक, शौचालय, पेय जल व्यवस्था, वाच टावर, मोर्चा, चहारदीवारी, पहुँचपथ, विद्युत उपकरण आदि निर्माण कार्य हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 4,92,91,200.00 (चार करोड़ बानवे लाख एकानवे हजार दो सौ रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए पूर्ण राशि विमुक्त की गयी थी, जिसे पुलिस मुख्यालय द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई को उपलब्ध कराया गया था। कतिपय कारणों से उक्त कार्य को जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा सम्पन्न नहीं कराया गया। उक्त विमुक्त राशि ₹ 4,92,91,200.00 (चार करोड़ बानवे लाख एकानवे हजार दो सौ रू0) जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा पुलिस मुख्यालय को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से वापस कर दिया गया है।

2. पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना द्वारा उक्त निर्माण कार्य के लिए बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए कुल लागत राशि ₹ 498.034 लाख (चार करोड़ अंठानवे लाख तीन हजार चार सौ रू0) की प्रशासनिक स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया है।

3. उपर्युक्त के आलोक में गृह विभाग के स्वीकृत्यादेश सं0 10616, दिनांक–26.12.2014 को विलोपित करते हुए जमुई जिलान्तर्गत खैरा प्रखण्ड के बेलाग्राम, झाझा प्रखण्ड के सिमुलतल्ला ग्राम एवं सोनो प्रखण्ड के चरखा पत्थर ग्राम में सशस्त्र सीमा बल के जवानों के आवासन हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना यथा–प्री फैब भवन, बैरक, शौचालय, पेय जल व्यवस्था, वाच टावर, मोर्चा, चहारदिवारी, पहुँचपथ, विद्युत उपकरण आदि निर्माण कार्य हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 498.034 लाख (चार करोड़ अंठानवे लाख तीन हजार चार सौ रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं तत्काल कार्य प्रारंभ करने हेतु ₹ 100.00 लाख (एक करोड़ रू0) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

4. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 100.00 लाख (एक करोड़ रू0) मात्र राज्य योजना की मांग संख्या–22 मुख्य शीर्ष–"4055–पुलिस पर पुंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–051–निर्माण–उपशीर्ष–0101–पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण" विपत्र कोड–P4055000510101 राज्य योजना स्कीम कोड– HOM - 5420 एवं विषय शीर्ष 53 01–मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से की जायेगी।

6. राशि की निकासी कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल खाते में जमा किया जायेगा।

7. निर्माण का कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा किया जायेगा।

8. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

9. राशि निकारी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

11. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

12. उपयोगिता प्रमाण–पत्र 3 माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

13. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन संचिका सं0–6/योजना–01–1020/2013 गृ0आ0 के पृ0–35/टि0 पर दिनांक–13.01.2017 को प्राप्त है।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–6/योजना–01–1020/2013गृ0आ0 के पृ0–38/टि0 पर दिनांक–02.02.2017 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–

(राधा नन्दन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0:–6/योजना–01–1020/2013 गृ0आ0....[illegible].../पटना, दिनांक 13 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना/ पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव